रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2012/भाद्र 15, 1934
No. 189] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2012/BHADRA 15, 1934

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2012

सं. भा.आ.प.-12(2)/2012-मेडि. विविध.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, **"चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998"** में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2012" कहा जाए।

(ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में निम्नलिखित परिवर्धन/ संशोधन/ विलोप/ प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे:—

(i) "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009, 03.11.2010 की अधिसूचना के अंतर्गत यथासंशोधित "अकादमिक शैक्षिक योग्यता और अध्यापन/अनुसंधान अनुभव की शर्तें" शीर्षक के अंतर्गत **"सारणी–1"** में **"अध्यापन तथा अनुसंधान अनुभव"** के कॉलम में **"प्रोफेसर" के पद के सामने सभी विशेषज्ञताओं के लिए** निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—

प्रोफेसर के **समकक्ष** मानने के लिए परामर्शदाता या विशेषज्ञ (विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री प्राप्त करने के पश्चात) रूप में न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले किसी ईएसआई अस्पताल में संबंधित विशेषज्ञता में कार्यरत, अपेक्षित अनुभव, प्रथम लेखक या तदनुरूपी लेखक के रूप में सूचीबद्ध जर्नल में चार अनुसंधान प्रकाशनों के साथ 18 वर्ष से अधिक होगा। किसी मेडिकल कॉलेज में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उस परामर्शदाता या विशेषज्ञ को "पदनामित प्रोफेसर" कहा जाएगा और पदनामित प्रोफेसर की हैसियत से तीन वर्ष का अनुभव पूरा करने पर उस व्यक्ति को "प्रोफेसर" के रूप में नामित किया जाएगा।

(ii) "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009, 03.11.2010 की अधिसूचना के अंतर्गत यथासंशोधित **"अकादमिक शैक्षिक योग्यता और अध्यापन/अनुसंधान अनुभव की शर्तें"** शीर्षक के अंतर्गत **"सारणी–1" में "अध्यापन तथा अनुसंधान अनुभव" के कॉलम में "एसोसिएट प्रोफेसर" के पद के सामने सभी विशेषज्ञताओं के लिए निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:–**

एसोसिएट प्रोफेसर के **समकक्ष** मानने के लिए परामर्शदाता या विशेषज्ञ (विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री प्राप्त करने के पश्चात) के रूप में न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले किसी ईएसआई अस्पताल में संबंधित विशेषज्ञता में कार्यरत, अपेक्षित अनुभव, प्रथम लेखक या तदनुरूपी लेखक के रूप में सूचीबद्ध जर्नल में दो अनुसंधान प्रकाशनों के साथ 10 वर्ष से अधिक होगा। किसी मेडिकल कॉलेज में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उस परामर्शदाता या विशेषज्ञ को "एसोसिएट प्रोफेसर" के रूप में नामित किया जाएगा।

(iii) "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009, 03.11.2010 की अधिसूचना के अंतर्गत यथासंशोधित "अकादमिक शैक्षिक योग्यता और अध्यापन/अनुसंधान अनुभव की शर्तें" शीर्षक के अंतर्गत **"सारणी–1" में "अध्यापन तथा अनुसंधान अनुभव" के कॉलम में "सहायक प्रोफेसर" के पद के सामने सभी विशेषज्ञताओं के लिए निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:–**

सहायक प्रोफेसर के **समकक्ष** मानने के लिए परामर्शदाता या विशेषज्ञ (विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री प्राप्त करने के पश्चात) के रूप में न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले किसी ईएसआई अस्पताल में संबंधित विशेषज्ञता में कार्यरत, अपेक्षित अनुभव, न्यूनतम 6 वर्ष होगा। किसी मेडिकल कॉलेज में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उस परामर्शदाता या विशेषज्ञ को "सहायक प्रोफेसर" के रूप में नामित किया जाएगा।

प्रो. संजय श्रीवास्तव, सचिव

[विज्ञापन-III/4/100/12/असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली नामतः "**चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998**" दिनांक 05 दिसंबर, 1998 को भारत के गजट के भाग–III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 16.03.2005 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009, 03.11.2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त अधिसूचना तभी लागू होगी, यदि भविष्य में 300 बिस्तरों वाला कोई ईएसआई अस्पताल, स्नातक–पूर्व चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज/संस्थान में रूपांतरित किया जाता है, स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री वाले अर्थात एम.डी./एम.एस./ डी.एन.बी. अभ्यर्थी को वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में भर्ती किया जाना चाहिए और परामर्शदाता या विशेषज्ञ के रूप में नहीं और इसके पश्चात उस मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर की नियुक्ति, मानक मापदंडों के अनुसार होगी।

2. यह, उनके मेडिकल कॉलेज की स्थापना के दौरान ईएसआई (गैर–अध्यापन) अस्पतालों के लिए केवल एकबारगी उपबंध होगा। तत्पश्चात किसी संकाय सदस्य की नियुक्ति "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998 (अब तक संशोधित)" के अनुसार होगी।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2012

No. MCI-12(2)/2012-Med.Misc.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", namely:-

1. (i) These Regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2012."

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following additions/ modifications/ deletions/substitutions, shall be, as indicated therein:-

(i) In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in 'TABLE-I' under the heading "REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATION AND TEACHING /RESEARCH EXPERIENCE", as amended vide notifications dated 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03/11/2010, in the column of 'Teaching and Research Experience' **against the post of "Professor", for all the specialties, the following shall be added:-**

The requisite experience for equating a Consultant or Specialist (after possessing postgraduate medical degree in the subject) working in the concerned specialty in a minimum 300 bedded ESI Hospitals as professor shall be more than 18 years with Four Research publication in indexed journal as Ist Author or corresponding author. Such Consultant or Specialist after joining a medical college shall be called as "Designate Professor" and on completion of three years experience in the capacity of Designate Professor, such person shall be designated as "Professor."

(ii) In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in 'TABLE-I' under the heading "REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATION AND TEACHING /RESEARCH EXPERIENCE", as amended vide notifications dated 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03/11/2010, in the column of 'Teaching and Research Experience' **against the post of " Associate Professor", for all the specialties, the following shall be added:-**

The requisite experience for equating a Consultant or Specialist (after possessing postgraduate medical degree in the subject) working in the concerned specialty in a minimum 300 bedded ESI Hospitals as associate professor shall be more than 10 years with Two Research publication in indexed journal as Ist Author or corresponding author. Such Consultant or Specialist after joining a medical college shall be designated as "Associate Professor."

(iii) In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in 'TABLE-I' under the heading "REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATION AND TEACHING /RESEARCH EXPERIENCE", as amended vide notifications dated 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03/11/2010, in the column of 'Teaching and Research Experience' **against the post of " Assistant Professor", for all the specialties, the following shall be added:-**

The requisite experience for equating a consultant or specialist (after possessing Postgraduate medical degree in the subject) working in the concern specialty, in a minimum 300 bedded ESI Hospitals as Assistant Professor shall be minimum 6 years. Such consultant or specialist after joining medical College shall be designate as Assistant Professor.

Prof. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy.

[ADVT-III/4/100/12/Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, Minimum 'Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" were published n Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended vide MCI notifications dated 16.03.2005, 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009, 03.11.2010."

Note :

1. The above said notification shall be applicable, if in future, if any 300 bedded ESI Hospital is converted into a medical college/institute for imparting undergraduate medical education, a candidate with postgraduate medical degree i.e. MD/MS/DNB should be recruited as Sr. Resident and not as Consultant or Specialist and thereafter, the appointment of Assistant Professor/Associate Professor/Professor in such medical College shall be made as per the standard norms.

2. This would be only a one time provision for ESI (Non-teaching) Hospitals during the establishment of their medical college, subsequently, the appointment of any faculty would be as per the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 (Amended till date)".

3322 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.